न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 22/2009

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
कालुराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. चन्द्राराम पुत्र श्री भंवरलाल 2. सुजाराम पुत्र श्री भंवरलाल 3. चेनाराम पुत्र श्री भंवरलाल 4. पुरखाराम पुत्र श्री भंवरलाल 5. चिमनाराम पुत्र श्री भंवरलाल 6. शान्तिदेवी पत्नी श्री सांवलराम 7. किशनाराम पुत्र श्री सांवलराम 8. ढगलीबाई पत्नी सांवलराम जातियान जाट निवासीगण खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 04.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नही। बार—बार आवाजे दिलायी गयी प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नही। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल राजस्व वाद संख्या 27/2009 कालुराम बनाम चन्द्राराम वगैराह अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः मूलवाद खारिज हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारीज शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 27/2009 कालुराम बनाम चन्द्राराम वगैराह अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा